

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- ५९/२०२५

तारीखरजू:- 16/5/25

2025/103

उनवान:- राजकुमार बनाम रघुवर वगै०

दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

16/5/25

वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 12.06.2025 को पेश हो।

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

2324-23
16/5/25

श्री 5/25

~~पत्रावली वादी वकील के द्वारा पेश की~~
~~दिनांक 12-6-25 से तलब की गयी। वादी~~
~~वकील ने इस बाबत पत्रावली पत्र पेश किया~~
~~की है। पक्षकारण के मध्यस्थता नामा से~~
~~चाया है। इस अपने दावा बाबत घोषणा खातेदारी~~
~~रूपानी मित्रे चाहा को जारी नहीं किया~~
~~जा रहा है। वादी वकील के द्वारा पत्र~~
~~का अवलोकन किया गया पत्रावली पत्र स्वीकार~~
~~किया गया है। पत्रावली फेरवाक्य भाव से~~
~~नकार से कम कर जारी कर दिया है।~~

